माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

निगरानी-3070/2018/विदिशा/भूरा प्र0कं0.....

भगवान सिंह आ0श्री मोती सिंह
निवासी ग्राम पचामा,
तह0 व जिला सीहोर (म0प्र0) ——— **आवेदक**

विरूद्ध

बुन्देल सिंह आ0श्री हरीराम मीणा
निवासी ग्राम बल्लाखेड़ी,
तह0 व जिला विदिशा (म0प्र0) ——— **अनावेदक**

पुर्नरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 विरूद्ध आदेश माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल केम्प विदिशा प्र.कं.290/अपील/15-16 भगवान सिंह विरूद्ध बुन्देल सिंह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 से असंतुष्ट होकर पुर्नरीक्षण समयावधि में प्रस्तुत है

महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :-

(1) यह कि पुर्नरीक्षण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम दल्लाखेड़ी तहसील जिला विदिशा के खाता नम्बर-75/10-11 की भूमि खसरा कं0-141/1/2 रकबा 0.421 हे0 कृषि भूमि अनावेदक से रुपये 10,43,500/- में रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.11.2013 को कय कर आधिपत्य प्राप्त किया गया है। उक्त भूमि पर कय दिनांक से आवेदक का कब्जा है।

(2) यह कि विकय पत्र दिनांक 18.11.2013 के आधार पर नायब तहसीलदार महोदय वृत्त कं0-1 तहसील विदिशा द्वारा नामांतरण पंजी कं0-5 आदेश दिनांक 01.01.2014 को

निरंतर...2...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3070/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा आलोच्य आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तहसीलदार द्वारा हितबद्ध पक्षकारों के सुनवाई का अवसर न प्रदान कर तथा संहिता की धारा 110 के प्रावधानों का पालन न किए जाने से अनुविभागीय अधिकारी विदिशा द्वारा नामांतरण पंजी पर किया गया आदेश निरस्त किया है जो वैधानिक दृष्टि से उचित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसे कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिस कारण यह निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	